भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- †*55

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची में काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदायों को शामिल करना

†*55 श्री गोविंद मकथप्पा कारजोलः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के साथ बैठकें/परामर्श किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ कदम उठाए जा रहे हैं तथा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची में शामिल करने के संबंध में दिनांक 25.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*55 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.): जी हां, कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदायों के समावेशन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से प्रस्ताव 2015 में प्राप्त हुआ था। काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदाय को शामिल करने की प्रविधियों का पालन नीचे दी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

(i) भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को (आगे 25.6.2002 एवं 14.9.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने की प्रविधियों को मंजूरी दे दी है।

(ii) इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और विधान (कानून) में संशोधन किया जा सकता है जिनकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की गयी हो और उन्हें उचित ठहराया गया हो तथा इस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति प्राप्त की गई हो। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई इन स्वीकृत प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

(iii). राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ नृवंशविज्ञान रिपोर्ट भी होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर एनसीएसटी द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं से अवगत कराया जाता है, ताकि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, प्रदान की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है।

कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में काडूगोल्ला/हट्टी गोल्ला/अडावी गोल्ला समुदायों को शामिल करने के कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्ताव का आरजीआई द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच कई पत्राचार हुए हैं। प्रस्ताव का समर्थन न करने के लिए आरजीआई द्वारा फरवरी 2017, फरवरी 2019, सितंबर 2022 और फरवरी 2024 में मंत्रालय को दी गई टिप्पणियों से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है।

*****